

राज्यपाल, काठमाडौं, नेपाल
 ७-२-२२
 कोषको शिब ने रुवासा पेश हुमा
 रीडर

७-२-२२

कोविड-१९ के कारण
 आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित
 कर रखा है। पत्रावली वास्ते... पुपुठिहार
 दि २५.२.२२ को पेश हैं।

Lawyer

२५.०२.२२

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित हुन।
 अजार्जी सं. १ तथा ३ तथा उनके वकील की
 बाप-२ भावाम लगावकी जमी लेकिन कोड
 उपस्थित नही आया। अतः एकपक्षीय काववादी
 के आदेश दिए जाते है। वकील जार्जी की
 एकपक्षीय बयान सुनी जार्जी पत्रावली वास्ते
 आदेश दिनांक ०२.०३.२०२२ को पेश हो

उप खण्ड अधिकारी
 महवा (दौसा)

२.३.२२


पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी उपस्थित।
 संकेप में तथा इस प्रकार से है कि विवादित भूमि
 ग्राम लोंगडीपुरा तहसील महवा स्थित काराजी
 खसरा नम्बर ३५३ रकवा ०५५ हेक्टर कुल किला
 ०१ रकवा ०५५ हेक्टर साफल्य जैरलाफल नं. ५ लगा
 ३ की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा
 बाहमी बेटवारे के खुल्ला काविज कहते हैं।
 साफल ने अपने दिसले की भूमि का राजस्व
 रिकार्ड में विभाजन करवाने हेतु दावा पेश
 कर रखा है जो ऊर्भी विचारधीन है इसलिए

तारीख हुक्म

कैसे है निस्तारण तक गैरसापलान को अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु निवेदन
किया है सापलान के वकील की एक पक्षीय
बदल हुनी गई प्रथम दृष्टया मामला सापलान
के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः गैर सापलान को एक निस्तारण तक
पारिशे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाता है कि ग्राम लोंगडीपुरा तहसील मध्या स्थित
अ.ब.नं 353 रकबा 0.54 हेक्टर में सापल
के हिस्से के कब्जे-काश्त की किसी प्रकार की
भजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करें तथा
रहन-वय मुक्तकिल नहीं करें मौका एवं
राजस्व रिकार्ड का यथास्थिति बनाये रखें,
पत्रावली फेशल शुमार होकर रखे लेफत
हो। शामिल मूल काय रहे।

पुनश्च: गैर सापलान के विरुद्ध दिनांक 24.2.22
को एक पक्षीय कार्यवाही की चुकी है। इसलिफ
वकील सापल की एक पक्षीय बदल हुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। सापल
राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है।
गैर सापलान द्वारा सापल के हिस्से - कब्जे-काश्त
की भूमि में बाधा उत्पन्न तथा क विधिगत विमोचन
का दावा विचाराधीन होने से प्रथम दृष्टया
मामला सापल के पक्ष में प्रतीत होता है।


अधीनस्थ अधिकारी
न्यायालय उपाजला मोजस्ट्रट